न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 18 / 24
RCMS NO-2024/ 84 सन् 2024

अपीलार्थी- 1. बुद्धी प्रकाश पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी धनोली तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 565 दिनांक 02.02.2008 वाके ग्राम धनोली तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्टगण
2. श्री विष्णु कुमार माथुर — नायब तहसीलदार पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 27.5.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 565 दिनांक 02.02.2008 वाके ग्राम धनोली तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के नामा0 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट के वास्तविक नाम की जानकारी नही की गयी है तथा उप सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरे के आधार पर समस्त कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न किये जाने के कारण अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर भी नही दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट के नाम मे त्रुटि रह गयी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व स्कूल के दस्तावेजो मे भी बुद्धीप्रकाश माली दर्ज है किन्तु विवादग्रस्त नामा0 मे प्रकाश दर्ज कर दिया है जिसके कारण अपीलान्ट को राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ भी नही मिल रहा है। यह तर्क भी दिया कि हाल खाता संख्या 660 मे अपीलान्ट के परिवारजनो के नाम का इन्द्राज होने के कारण सहखातेदारो ने अपीलान्ट के पक्ष में सहमति पत्र भी लिखकर दे रखा है। यह तर्क भी आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.7.2024 को पटवारी हल्का से नामा0 की नकल लेने अपीलान्ट को प्राप्त हुई है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सहखातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम बुद्धिप्रकाश है इसलिए यदि अपीलान्ट का नाम प्रकाश के स्थान पर बुद्धिप्रकाश कर दिया जाता है तो सहखातेदारान एवं राज्य सरकार का किसी प्रकार से हित प्रभावित नही हो रहा है।

(सुमन चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:53 IST
Reason: SelfAttested

(अपील नामा0 संख्या 18 / 2024 उनवानी बुद्वीप्रकाश बनाम सरकार)

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 565 दिनांक 02.02.2008 अपीलान्ट के पिता रामनाथ पुत्र चौखा माली की विरासत का दर्ज फैसल किया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम बुद्विप्रकाश के स्थान प्रकाश अंकित कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम बुद्विप्रकाश होने की पुष्टि हो जाती है तथा उक्तानुसार आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम सही किये जाने पर अन्य सहखातेदारान एवं राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम सही करवाये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित होने के कारण विधिविरूद्व पारित आदेश जैर अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 565 निर्णय दिनांक 02.02.2008 वाके ग्राम धनोली) को अपीलान्ट की सीमा तक खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक रामनाथ पुत्र चौखा के विधिक वारिसान के सही नाम की पुष्टि कर अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो को रिकार्ड पर लिया जावें एवं अन्य सहखातेदारान की सहमति उपरान्त पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:53 IST
Reason: SelfAttested